न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-3, अलवर

पीठासीन अधिकारी : **ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी अपील संख्या - 75/2019
सी.आई.एस नंबर - 201/2019

1. दीपक कुमार पुत्र श्री रामनिवास सैनी, निवासी 34 संजय कॉलोनी, अलवर, राजस्थान

...अभियुक्त/अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक महोदय, अलवर (राज.)
2. हेमराज चौधरी पुत्र श्री गोपाल सिंह चौधरी, निवासी रामनगर कॉलोनी, बख्तल की चौकी, अलवर, राजस्थान

...रेस्पोडेंट

दाण्डिक अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 02-08-2019 न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एनआई एक्ट प्रकरण संख्या 02, अलवर, पीठासीन अधिकारी नीलोफर तोमर, आर.जे.एस. बअनुवान हेमराज बनाम दीपक, प्रकरण संख्या 23/1128/2016 अपराध अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट

उपस्थितिः-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह , विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री श्याम सुंदर बंसल, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पोडेंट/परिवादी की ओर से ।
3. श्री अजीत यादव अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से ।

-निर्णय- **दिनांकः- 08-06-2026**

1. यह फौजदारी अपील **अपीलार्थी/अभियुक्त दीपक कुमार** द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एनआई एक्ट प्रकरण संख्या 02, अलवर द्वारा फौजदारी प्रकरण हेमराज बनाम दीपक, प्रकरण संख्या 23/1128/2016 में पारित निर्णय व दण्डादेश **दिनांकित 02-08-2019** के विरूद्ध माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो विधिनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. यह फौजदारी अपील अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, एनआई एक्ट प्रकरण संख्या 02, अलवर, द्वारा फौजदारी प्रकरण हेमराज बनाम दीपक, प्रकरण संख्या 23/1128/2019 में पारित निर्णय व दण्डादेश **दिनांकित 02-08-2019** में अभियुक्त को निम्नानुसार दंडित किया गया-

धारा	**कारावास**	**अर्थदण्ड**	**अदम अदायगी अर्थदण्ड अतिरिक्त साधारण कारावास**
138 परक्राम्य लिखित अधिनियम	एक वर्ष का साधारण कारावास	चार लाख पचास हजार रूपए	अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा

जिससे व्यथित होकर न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गयी ।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी हेमराज ने एक परिवाद अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट अभियुक्त दीपक के विरूद्ध दिनांक 02-12-2015 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि परिवादी व अभियुक्त की अच्छी जान-पहचान है। दिनांक 20-08-2015 को अभियुक्त परिवादी के पास आया और घरेलू आवश्यकता के लिए तीन लाख रूपए की राशि उधार मांगी, जिस पर परिवादी ने अभियुक्त को तीन लाख रूपए उधार दिये और उक्त रकम के भगुतान के बाबत अभियुक्त ने **चैक सं० 954134 दिनांक 20-10-2015** को परिवादी को दिया। परिवादी ने उक्त चैक दिनांक 28-10-2015 को बैंक में प्रस्तुत किया तो अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चैक अनादृत हो गया और परिवादी को पुनः प्राप्त हो गया।

4. परिवादी ने उक्त चैक अनादरण के बाबत एक रजिस्टर्ड नोटिस अभियुक्त को दिनांक 02-11-2015 को प्रेषित करवाया, जो नोटिस अभियुक्त को प्राप्त गया और उसका जवाब भी अभियुक्त ने गलत तरीके से परिवादी को दिलवाया और अभियुक्त के द्वारा रकम का कोई भुगतान परिवादी को नहीं किया, जिस पर परिवादी ने दिनांक 02-12-2015 को अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया और निम्न अनुतोष चाहा कि परिवादी का परिवाद पत्र स्वीकार किया जाकर अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट. के तहत उचित आज्ञा देने की कृपा करें तथा परिवादी के पक्ष में जो उचित हो आदेश पारित करने की कृपा करें।

5. इस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 15-01-2016 को अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया तथा अपीलार्थी/अभियुक्त को दिनांक 30-10-2017 को धारा 138 एन.आई.एक्ट के आरोप का सारांश पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन-समझकर इंकार कर अन्वीक्षा चाही तथा न्यायालय द्वारा गवाह पी. डब्ल्यू 1 हेमराज चौधरी की साक्ष्य लेखबद्ध की गयी तथा दिनांक 25-03-2019 को अभियुक्त के

बयान मुलजिम लिए तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। न्यायालय द्वारा बहस अंतिम सुनी जाकर दिनांक 02-08-2019 को निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी/ अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सुनकर उपरोक्तानुसार दोषी पाकर दंडित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी।

6. **अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने** दौराने बहस तर्क दिया कि अभियुक्त के द्वारा परिवादी से तीन लाख रूपए उधार नहीं लिये गये, बल्कि केवल मात्र 25 हजार रूपए उधार लिये गये थे और इसके बाबत दो चैक सिक्योरिटी पेटे के अभियुक्त ने परिवादी को दिये थे। परिवादी ने उक्त सिक्योरिटी पेटे दिये चैकों का दुरुपयोग किया है तथा अभियुक्त ने पच्चीस हजार रूपए भी परिवादी को अदा कर दिये। उसके बावजूद परिवादी ने गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है तथा अभियुक्त को नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का उचित विवेचन नहीं किया है। अतः विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाए और अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जाए।

7. जबकि इसके विपरीत परिवादी अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि अभियुक्त के द्वारा परिवादी से तीन लाख रूपए उधार लिये गये थे और उक्त रकम के भुगतान के बाबत ही चैक दिये गये है तथा अभियुक्त के द्वारा किसी प्रकार की कोई रकम परिवादी को कभी भी अदा नहीं की और नोटिस अभियुक्त को प्राप्त हो गया था, जिसका जवाब भी अभियुक्त के द्वारा परिवादी को प्रेषित करवाया गया था तथा चैक सिक्योरिटी पेटे नहीं होकर भुगतान पेटे ही थे। विचारण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसकी पुष्टि की जाए और अभियुक्त की अपील खारिज की जाए।

8. बहस उभय पक्षीय सुनने एवं पत्रावली एवं विधि व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत है कि परिवादी **पी डब्ल्यू 1 हेमराज चौधरी** ने अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में परिवाद में अंकित कथनों की पुष्टि में कथन किये हैं और उल्लेख किया है कि परिवादी व अभियुक्त की अच्छी जान-पहचान है। दिनांक 20-08-2015 को अभियुक्त परिवादी के पास आया और घरेलू आवश्यकता के लिए तीन लाख रूपए की राशि उधार मांगी, जिस पर परिवादी ने अभियुक्त को तीन लाख रूपए उधार दिये और उक्त रकम के भगुतान के बाबत अभियुक्त ने **चैक सं० 954134 दिनांक 20-10-2015** को परिवादी को दिया। परिवादी ने उक्त चैक दिनांक 28-10-2015 को बैंक में प्रस्तुत किया तो अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चैक अनादृत हो गया और परिवादी को पुनः प्राप्त हो गया।

9. परिवादी ने उक्त चैक अनादरण के बाबत एक रजिस्टर्ड नोटिस अभियुक्त को दिनांक 02-11-2015 को प्रेषित करवाया, जो नोटिस अभियुक्त को प्राप्त गया और उसका जवाब भी अभियुक्त ने गलत तरीके से परिवादी को दिलवाया और अभियुक्त के द्वारा रकम का कोई भुगतान परिवादी को नहीं किया, जिस पर परिवादी ने दिनांक 02-12-2015 को

अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। परिवादी की ओर से परिवाद के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये-

क्रम संख्या	प्रदर्श	दस्तावेज की प्रकृति
1	प्रदर्श पी० 1	असल चैक
2	प्रदर्श पी० 2	पोस्टल रसीद
3	प्रदर्श पी० 3	बैंक मेमो
4	प्रदर्श पी० 4	विधिक नोटिस
5	प्रदर्श पी० 5	जवाब नोटिस

10. उक्त गवाह जिरह में भी इन्हीं तथ्यों की पुष्टि करता है और स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि वह अभियुक्त दीपक को सन 2014 से जानता है और वह गाड़ी खरीदने गया, तब से उसकी उससे जान-पहचान है तथा अभियुक्त को पूर्व में भी पांच-दस हजार रूपए की कभी जरूरत पड़ती थी तो वह उसको उधार दे देता था और उक्त रकम भी अभियुक्त पुनः उसे लौटा देता था, परंतु बाद में तीन लाख रूपए लेने के बाद अभियुक्त के द्वारा रकम का भुगतान नहीं किया गया तथा जब उसने रकम उधार दी थी तब उस समय कोई और नहीं था । तथा चैक स्वयं अभियुक्त ही भरकर लाया था तथा उसके द्वारा लेनदेन के बाबत कोई डायरी नहीं रखी जाती है और अभियुक्त ने केवल उससे 25 हजार रूपए उधार नहीं लिये थे, बल्कि तीन लाख रूपए उधार लिये थे।

11. इस प्रकार उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में तीन लाख रूपए उधार देना तथा अभियुक्त द्वारा उसे वापस नहीं लौटाने के संबंध में स्पष्ट रूप से साक्ष्य देता है।

12. अपीलार्थी अभियुक्त अधिवक्ता ने दौराने बहस यह तर्क दिया कि अभियुक्त को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था तो अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि परिवादी के द्वारा अभियुक्त को दिनांक 02-11-2015 को प्रदर्श पी० 4 नोटिस प्रेषित किया गया था और उक्त प्रदर्श पी० 4 नोटिस के जवाब में अभियुक्त के द्वारा परिवादी को जवाब नोटिस प्रदर्श पी० 5 दिनांक 18-11-2015 को प्रेषित किया गया था। अतः जब अभियुक्त ने नोटिस का जवाब भेज दिया तो यह कैसे माना जा सकता है कि अभियुक्त को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ हो।

13. अपीलार्थी/अभियुक्त अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क किया कि अभियुक्त ने परिवादी से केवल मात्र 25 हजार रूपए उधार लिये थे और उसका भुगतान भी उसके द्वारा कर दिया गया तो अपीलार्थी/अभियुक्त अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है,

क्योंकि अपीलार्थी/अभियुक्त ने कहीं पर भी यह साबित नहीं किया है कि उसने 25 हजार रूपए किसके सामने लिये और किसके सामने उक्त रकम का पुनः भगुतान परिवादी को किया और इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रतिरक्षा भी अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा पेश नहीं की गयी। इस प्रकार भी स्पष्ट नहीं हो सकता है कि अभियुक्त ने परिवादी से केवल मात्र 25 हजार रूपए ही उधार लिये हो, जबकि चैक तीन लाख रूपए का है और उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर भी है।

14. अपीलार्थी/अभियुक्त अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी तर्क दिया कि चैक सिक्योरिटी पेटे था, जिसका दुरुपयोग परिवादी ने किया है तो अपीलार्थी/अभियुक्त अधिवक्ता का उक्त तर्क भी उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अभियुक्त व परिवादी के मध्य क्या व्यापारिक अंतरण था, जिसके कारण अभियुक्त ने परिवादी को सिक्योरिटी पेटे चैक दिये हो।

15. विचारण न्यायालय ने उपरोक्त समस्त साक्ष्य का समग्र विवेचन करने के उपरांत विधि अनुरूप एवं तथ्यात्मक रूप से सही निष्कर्ष निष्पादित किया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है। अतः यह अपील **अस्वीकार कर खारिज** किये जाने योग्य प्रकट होती है।

<u>आदेश</u>

16. अतः **अपीलार्थी/अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र श्री रामनिवास सैनी, निवासी 34 संजय कॉलोनी, अलवर, राजस्थान** की ओर से प्रस्तुत यह अपील **अस्वीकार** कर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश **दिनांक 02-08-2019** की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाता है।

17. अपीलार्थी/अभियुक्त का पुष्टिकारक सजा वारण्ट बनाया जावे। निर्णय की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ अविलम्ब भेजी जावे।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 3, अलवर

18. निर्णय आज दिनांक 08-06-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 3, अलवर